

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जून 2021—ज्येष्ठ 21, शक 1943

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय, उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन
विशाला भवन, भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र, देवास रोड, उज्जैन—456 010

उज्जैन, दिनांक 19 मई 2021

प्ररूप-सत्रह (क)
[नियम 19(4) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन नगर विकास स्कीम को प्रत्याहृत करने हेतु सूचना]

क्र. 15056-TDS-1-UJN-2020-16-2021.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम गोयलाखुर्द एवं ग्राम मालनवासा की भूमि जो तहसील कोठी महल जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवासीय प्रयोजन हेतु उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS-1-UJN-2020 के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा निरस्त किया जा चुका है.

अतएव, धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ज्ञाप क्रमांक 15056-TDS-1-UJN-2020, दिनांक 25 दिसम्बर 2020 द्वारा प्रकाशित उपरोक्त स्कीम संबंधी आशय को उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन द्वारा प्रत्याहृत किया जाता है.

सोजानसिंह रावत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

कार्यालय, भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
प्रगति भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मई 2021

“प्रारूप-सत्रह (क)”

[नियम 19(4) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन नगर विकास स्कीम को प्रत्याहृत करने हेतु सूचना]

क्र. 282-का.यं-1-भोविप्रा-2021.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम भैरोपुर, होशंगाबाद रोड के अन्तर्गत ट्रांसपोर्ट नगर योजना विकसित करने के प्रयोजन हेतु भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक 207/2020 के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

अतएव, धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ज्ञाप क्रमांक 931-मुकाअ-कार्य-7-भोविप्रा-2020, दिनांक 30 सितम्बर 2020 द्वारा प्रकाशित उपरोक्त स्कीम संबंधी आशय को भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्याहृत किया जाता है।

बुध्देश कुमार वैद्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2021

“प्रारूप-सत्रह (क)”

[नियम 19(4) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन नगर विकास स्कीम को प्रत्याहृत करने हेतु सूचना]

क्र. 283-का.यं-1-भोविप्रा-2021.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम बावड़िया कलाँ, बाग सेवानियां बाग मुंगालिया कटारा, लहारपुर एवं अमरावद खुर्द के अन्तर्गत भोपाल विकास योजना 2005 में प्रस्तावित 60 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मास्टर प्लान सड़क तथा उसके दोनों तरफ 300-300 मीटर क्षेत्र में नगर विकास योजना विकसित करने के प्रयोजन हेतु भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक 212/2020 के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

अतएव, धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ज्ञाप क्रमांक 934-कार्य-7-भोविप्रा-2020, दिनांक 1 अक्टूबर 2020 द्वारा प्रकाशित उपरोक्त स्कीम संबंधी आशय को भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्याहृत किया जाता है।

बुध्देश कुमार वैद्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2021

प्रारूप-सत्रह (क)

[नियम 19(4) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन नगर विकास स्कीम को प्रत्याहृत करने हेतु सूचना]

क्र. 45-मु.का.अ.-का.य.-2-भोविप्रा-2021.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम भानपुर एवं रासलाखेडी हेतु भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी नगर विकास स्कीम क्रमांक 211/2020 (यातायात नगर ग्राम भानपुर एवं रासलाखेडी) के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

अतएव, धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ज्ञाप क्रमांक 61-सी.ई.ओ./ई.ई.-2-भोविप्रा-2020, दिनांक 3 अक्टूबर 2020 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 11 दिसम्बर 2020 में प्रकाशित उपरोक्त स्कीम संबंधी आशय को भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्याहृत किया जाता है।

बुध्देश कुमार वैद्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 19 मई 2021

“प्रारूप-सत्रह (क)”

[नियम 19(4) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन नगर विकास स्कीम को प्रत्याहृत करने हेतु सूचना]

प. क्र. 1496-का.य.-3-भोविप्रा-2021.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम मुबारकपुर के अन्तर्गत भोपाल विकास योजना 2005 में प्रस्तावित रक्षा बिहार चरण-2 नगर विकास योजना विकसित करने के प्रयोजन हेतु भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक 204/2020 के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

अतएव, धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ज्ञाप क्रमांक 1428-मु.का.अ.-का.य.-3-भोविप्रा-2020, दिनांक 1 अक्टूबर 2020 द्वारा प्रकाशित उपरोक्त स्कीम संबंधी आशय को भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्याहृत किया जाता है।

बुध्देश कुमार वैद्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 19 मई 2021

“प्रारूप-सत्रह (क)”

[नियम 19(4) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन नगर विकास स्कीम को प्रत्याहृत करने हेतु सूचना]

पत्र क्र. 1497-का.य.-3-भोविप्रा-2021.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम भौरी के अन्तर्गत भोपाल विकास योजना 2005 में प्रस्तावित यातायात सह आवासीय नगर विकास योजना विकसित करने के प्रयोजन हेतु भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक 208/2020 के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

अतएव, धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ज्ञाप क्रमांक 1426-मु.का.अ.-का.य.-3-भोविप्रा-2020, दिनांक 1 अक्टूबर 2020 द्वारा प्रकाशित उपरोक्त स्कीम संबंधी आशय को भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्याहृत किया जाता है।

बुध्देश कुमार वैद्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2021

“प्रारूप-सत्रह (क)”

[नियम 19(4) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन नगर विकास स्कीम को प्रत्याहृत करने हेतु सूचना]

क्र. 223-मु.का.अ.-का.य.-4भोविप्रा-2021.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-कोकता, तहसील हुजूर भोपाल हेतु भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक 202/2020 कोकता नगर विकास योजना के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

अतएव, धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ज्ञाप क्रमांक 233-सं. क्र. 5भोविप्रा-2020, भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2020 द्वारा प्रकाशित उपरोक्त स्कीम संबंधी आशय की घोषणा को भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्याहृत किया जाता है।

बुध्देश कुमार वैद्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2021

“प्रारूप-सत्रह (क)”

[नियम 19(4) देखिए]

[धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन नगर विकास स्कीम को प्रत्याहृत करने हेतु सूचना]

क्र. 224-का.य.-06-भोविप्रा-20.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-गौरा एवं सेवनिया गौड़, तहसील हुजूर भोपाल हेतु भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक 203/2020 वनस्पति उद्यान योजना के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

अतएव, धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ज्ञाप क्रमांक 175-सीओ/ईई 6, दिनांक 30 सितम्बर 2020 द्वारा प्रकाशित उपरोक्त स्कीम संबंधी आशय को भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्याहृत किया जाता है।

बुध्देश कुमार वैद्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शोभा संतवानी पुत्री श्री नंदलाल संतवानी से परिवर्तित होकर श्रीमती पूजा कुकरेजा पत्नी श्री विनोद कुकरेजा हो गया है अब मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ.

पूर्व नाम :
(शोभा संतवानी)
पुत्री श्री नंदलाल संतवानी

परिवर्तित नाम :
(श्रीमती पूजा कुकरेजा)
पत्नी श्री विनोद कुकरेजा,
संत कंवरराम कॉलोनी, मामा का बाजार,
लशकर ग्वालियर.

(G 66)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह से पूर्व मेरा नाम जिमिका उदरनानी (Jimika Udernani) पुत्री श्री तुलसीदास उदरनानी था, विवाह के उपरान्त मेरा नाम श्रीमती वासवी पारवानी (Vaasvi Parwani) पत्नी श्री जितेश पारवानी, निवासी-48 ईदगाह हिल्स, रिज रोड, भोपाल हो गया है, अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नए नाम वासवी पारवानी के नाम से जाना व पहचाना जावें.

पुराना नाम :
(जिमिका उदरनानी)
(Jimika Udernani)
पुत्री श्री तुलसीदास उदरनानी
(D/o Shri Tulsidas Udernani)

प्रेषक :
(वासवी पारवानी)
(VAASVI PARWANI)
पत्नी श्री जितेश पारवानी
(W/o Shri Jitesh Parwani)

(G 67)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ब्लू स्टार इन्टरप्राइजेज जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0113/20, दिनांक 24-8-2020 है जिसमें दिनांक 25-3-2021 को भागीदार श्री नवीन शिवहरे पुत्र श्री चिरोंजीलाल शिवहरे एवं श्री प्रवीण शिवहरे पुत्र श्री चिरोंजीलाल शिवहरे निवासी एम-40 गांधीनगर ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 23-3-2021 को भागीदार श्री अरविंद अग्रवाल पुत्र श्री कृष्णगोपाल अग्रवाल निवासी 04 गीता कॉलोनी हॉस्पिटल रोड ग्वालियर एवं श्री जयदीप अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश अग्रवाल निवासी रामकृपा नया बाजार लशकर ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

श्री अरविंद अग्रवाल (भागीदार)
फर्म मैसर्स ब्लू स्टार इन्टरप्राइजेज
एम-40 गांधीनगर ग्वालियर.

(G 68)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स आईविश रिटेल, इन्दौर जिसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 3-10-2017 क्रमांक 03/27/01/0168/17 है जो 501, प्रिसेंस एंपायर, 6/12, रेसकोर्स रोड, इन्दौर में स्थित है जिसमें दिनांक 25-2-2021 को भागीदार श्री दिनेश गोयल पिता श्री रमेशचंद्र गोयल, निवासी इन्दौर, अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो चुके हैं एवं इसी दिनांक को नए श्रीमती मनीषा धाकड़, निवासी इन्दौर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में शामिल किए गए हैं. आमजन एवं सर्वजन को सूचित हो.

हर्षवर्धन धाकड़ (भागीदार)

मेसर्स आईविश रिटेल

निवासी-501, प्रिसेंस एंपायर, 6/12, रेसकोर्स रोड, इन्दौर.

(G 69)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स-श्री बॉकेबिहारी माईनिंग इण्डस्ट्री जो आर/03 ऋषीनगर हेमसिंह की परेड, लश्कर ग्वालियर में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक-02/42/01/0066/17 दिनांक 5-6-2017 है जिसमें दिनांक 10-7-2020 को भागीदार श्री शैलेन्द्र सिंह, श्री दिनेश शर्मा एवं श्री प्रशांत कुमार की आपसी सहमति से फर्म का संचालन न करने का निर्णय लिया गया है अतः दिनांक 10-7-2020 से फर्म को समाप्त (विघटित) कर दिया गया है आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

शैलेन्द्र सिंह (भागीदार)

फर्म मैसर्स श्री बॉकेबिहारी माईनिंग इण्डस्ट्री

ऋषीनगर हेमसिंह की परेड, लश्कर ग्वालियर.

(G 70)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म Ms SIDDHI VINAYAK STONE AGGRIGATE जो 005, कुशवाह कॉलोनी इटावा रोड, भिण्ड, म. प्र. में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 02/43/07/0259/18, दिनांक 1-1-2018 है जिसमें दिनांक 1-4-2021 को 1. श्री सुभाष शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा निवासी-20 ग्राम मधपुरा भिण्ड, 2. श्री शिवकुमार राठौर पुत्र श्री उदयभान सिंह राठौर निवासी-बी. एस.एफ. कॉलोनी दीनदयाल नगर ग्वालियर, 3. प्रेमनारायण श्रीवास्तव पुत्र श्री श्यामबाबू श्रीवास्तव निवासी-236 वार्ड न. 03 भिण्ड, 4. श्री पंकज पाण्डे पुत्र श्री प्रद्युमन पाण्डे निवासी-शाहिद कॉलोनी, छोटीमाता मंदिर भिण्ड एवं 5. श्री विकास शर्मा पुत्र श्री कमलेश शर्मा, निवासी-37 रामदयाल नगर पिन्टोपार्क मुरार ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

अजय कुमार शर्मा (भागीदार)

फर्म Ms SIDDHI VINAYAK STONE AGGRIGATE

005, कुशवाह कॉलोनी इटावा रोड, भिण्ड, म. प्र.

(G 71)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म का नाम ज्योति फुड्स एण्ड बेकर्स (नौगांव) बीना जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 06/09/02/00107/11, दिनांक 23-11-2011 एवं फर्म का पता नौगांव इण्डस्ट्रीयल एरिया बीना जिला-सागर म. प्र. में स्थित है जिसमें दिनांक 1-4-2020 को श्री देवेन्द्र कुमार मठेजा आत्मज श्री हरीश कुमार मठेजा, आयु 32 वर्ष, निवासी-D-6 काकड़ा अभिनव होम्स अयोध्या वायपास रोड, भोपाल मध्यप्रदेश अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो रहे हैं साथ ही स्वप्लेन कुमार पटेल आत्मज श्री अशोक कुमार भाई पटेल आयु 45 वर्ष निवासी सर्वोदय चौक जवाहर वार्ड बीना जिला सागर म. प्र. दिनांक 1-4-2020 को फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं. उक्त विषय हेतु किसी को भी कोई आपत्ति हो तो कृपया कर निम्नलिखित नंबर पर सूचित करें. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

श्री संजय कुमार पटेल (भागीदार)

मो. 9425452835

मेसर्स-ज्योति फुड्स एण्ड बेकर्स

(नौगांव) बीना.

(G 72)

PUBLIC NOTICE

This is for public notice that we the undersigned, being the partners of the firm PUSHPAK STEEL INDUSTRIES Registration No. 01/01/01/00105/14 Date of Registration 6-6-2014 hereby apply the following particulars in pursuance of 32 (i) of Indian partnership Act 1932.

(1) Reconstruction of partnership due to the retirement of partner that M/s. PUSHPAK STEEL INDUSTRIES is partnership firm which was reconstituted on 01-04-2021 due to retirement of partner CHANDRA SHEKHAR LANGE R/O D 381 Old Minal Residency, JK Road, Bhopal 46023 MP by virtue of deed of the retirement executed among himself on 01.04.2021, the retiring partner unanimously agreed to leave the above mentioned firm.

(2) The continuing partners will be (1) PANKAJ KUMAR SINGH (2) SUREKHA SINGH

PUSHPAK STEEL INDUSTRIES

(PANKAJ KUMAR SINGH)

PARTNER

PUSHPAK STEEL INDUSTRIES

**98 B, SECTOR -I, INDUSTRIAL AREA
GOVINDPURA, BHOPAL (MP)-462023**

(SUREKHA SINGH)

PARTNER

PUSHPAK STEEL INDUSTRIES

**98 B, SECTOR -I, INDUSTRIAL AREA
GOVINDPURA, BHOPAL (MP) -462023**

(G 73)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम ओम प्रकाश था. अब मैंने अपना नाम बदलकर ओम प्रकाश जुरेशिया कर लिया है. अतः अब मुझे मेरे नये नाम ओम प्रकाश जुरेशिया से जाना एवं पहचाना जावे साथ ही मेरे समस्त दस्तावेजों में भी यही नाम अंकित समझा जावे.

पुराना नाम
(ओम प्रकाश)

नया नाम
(ओम प्रकाश जुरेशिया)
पता-63, रोहतास नगर, खजूरी रोड,
पिपलानी, भोपाल.

(G 74)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स/डिजिटल सिक््योरिटी एण्ड एब्लूसन इण्टरप्राइजेज टीकमगढ़ में कुल चार स्वामी पार्टनर थे जिनमें 1. लक्ष्मीचन्द्र कुशवाहा तनय श्री काशीराम कुशवाहा, 2. राहुल कुमार सेन तनय श्री कन्हैयालाल सेन, 3. गौरव खरे तनय श्री रमेश खरे, 4. कृष्णकान्त विश्वकर्मा तनय किशोरीलाल विश्वकर्मा शामिल है, रहे हैं डिजिटल सिक््योरिटी एण्ड एब्लूसन इण्टरप्राइजेज टीकमगढ़ फर्म स्वामी पार्टनर से दिनांक 15-6-2020 से गौरव खरे तनय श्री रमेश खरे एवं कृष्णकान्त विश्वकर्मा पुत्र श्री किशोरीलाल विश्वकर्मा स्वेच्छा से अलग हो गये हैं. ये संशोधन दिनांक 15-6-2020 से मान्य होगा.

सूचनाकर्ता

डिजिटल सिक््योरिटी एण्ड एब्लूसन इण्टरप्राइजेज टीकमगढ़ (म. प्र.).

(G 75)

सूचना

“सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स डिव्वाइन इंफ्रास्ट्रक्चर (Divine Infrastructure) जो कि भागीदार फर्म है, जिसमें से एक साझेदार श्री अनमोल वासनिक स्वेच्छा से दिनांक 2-2-2021 को भागीदारी से पृथक् हो गये हैं एवं भागीदार का वर्तमान पंजीयन कार्यालय का पता A-71 Flower सिटी कटारा हिल्स भोपाल है. यदि उपरोक्त के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सात दिवस के भीतर सूचित करे.

Divine Infrastructure Partner”

FOR DIVINE INFRASTRUCTURE
PARTNER.

(G 76)

जाहिर सूचना

“सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री साई फिल एंड फ्लाई पता करारिया विदिशा मध्यप्रदेश जो की एक भागीदारी संस्था थी उक्त संस्था से आज दिनांक 31-3-2021 को श्रीमती रचना यादव स्वेच्छा से पृथक् हो गयीं हैं तदुपरांत अब वर्णित संस्था श्री परमल सिंह ठाकुर की प्रोप्राइटर संस्था हो गयी है, इस पर किसी को भी कोई भी आपत्ति हो तो सात दिवस के भीतर सूचित करें. मैसर्स श्री साई फिल एंड फ्लाई पता करारिया विदिशा मध्यप्रदेश”.

M/s Shri Sai Fill & Fly
Proprietor.

(G 77)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती पूनम साहू (POONAM SAHU) पति स्व. श्री अनिल साहू सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम अंजू साहू था जो मेरे बीमा पॉलिसी में अंकित है और वर्तमान में मुझे श्रीमती पूनम साहू (POONAM SAHU) पति स्व. श्री अनिल साहू के नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाता है और पूनम साहू के नाम से ही हस्ताक्षर करती हूँ. पूनम साहू एवं अंजू साहू मेरे ही नाम है. अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम अंजू साहू के स्थान पर पूनम साहू लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम
(अंजू साहू)

नया नाम
(श्रीमती पूनम साहू पति स्व. श्री अनिल साहू)
पता-जीवाजी नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर.

(G 78)

नाम परिवर्तन

मैं, कु. भूरी जाटव पुत्री रामलाल, आयु-28 वर्ष, पता-44, ग्राम नपलिया खेड़ी पान्या, जिला राजगढ़ (म. प्र.) सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में सभी दस्तावेजों में कु. भूरी जाटव पुत्री रामलाल नाम था. अब मेरा नाम परिवर्तन के पश्चात् भूमिका सिंह पुत्री रामलाल, स्थाई पता-44, ग्राम नपलिया खेड़ी पान्या, जिला राजगढ़ (म. प्र.) है. अब भविष्य में मुझे भूमिका सिंह नाम से जाना पहचाना जावे जो कि पूर्व रूप से सही एवं सत्य है मुझे भूमिका सिंह पुत्री रामलाल के नाम से सभी शासकीय एवं गैर शासकीय दस्तावेज में जाना एवं पहचाना जावें.

पुराना नाम
(भूरी जाटव)

नया नाम
(भूमिका सिंह)
44, ग्राम नपलिया खेड़ी पान्या, जिला राजगढ़.

(G 79)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स बृजराज शरण कन्हैयालाल स्थित ए. बी. रोड, कोलारस, जिला शिवपुरी (म. प्र.) पंजीयन क्रमांक 68, दिनांक 12-2-1998 है. जिसमें दिनांक 1-4-2021 को भागीदार श्री उमेशचंद पुत्र श्री कन्हैयालाल जी, निवासी, कोलारस, जिला शिवपुरी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं 1-4-2021 से घनश्यामदास अग्रवाल पुत्र स्व. श्री बृजशरण अग्रवाल एवं श्रीमती शीला अग्रवाल पत्नि श्री घनश्यामदास अग्रवाल, निवासीगण कोलारस, जिला शिवपुरी फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मयंक अग्रवाल (भागीदार)
मैसर्स बृजराज शरण कन्हैयालाल.

(G 80)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री अग्रवाल एसोसिएट्स मुरैना जो 61, जीवाजीगंज, जिला मुरैना है जिसका पंजीयन क्र. 02/44/01/0251/19, दिनांक 10-12-2019 है जिसमें दिनांक 15-4-2021 को भागीदार श्री अजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री श्यामसुन्दर अग्रवाल, निवासी जीवाजीगंज, मुरैना अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गए हैं एवं इसी दिनांक 15-4-2021 को श्री दिनेशचन्द्र मोदी पुत्र स्व. श्री किशनलाल मोदी, निवासी 61, जीवाजीगंज, मुरैना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गए हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

श्री नितिन मोदी (भागीदार)

मैसर्स श्री अग्रवाल एसोसिएट्स-61, जीवाजीगंज, मुरैना.

(G 81)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स कृष्णा ऑयल मिल, पता :-ए. बी. रोड, कोलारस, शिवपुरी जिसका पंजीयन क्र. 64/93, दिनांक 12-02-1993 है जिसमें दिनांक 22-10-2015 को भागीदार श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री हरिवल्लभ, निवासी ए. बी. रोड, कोलारस, शिवपुरी की मृत्यु हो जाने से फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं इसी दिनांक को रुचिन बिन्दल पुत्र श्री उमेशचंद बिन्दल फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं एवं दिनांक 01-04-2021 को भागीदार श्री घनश्याम दास पुत्र स्व. श्री बृजशरण एवं श्रीमती शीला अग्रवाल पत्नि श्री घनश्यामदास, निवासीगण ए. बी. रोड, कोलारस, शिवपुरी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं और इसी दिनांक को श्री उमेशचंद गुप्ता पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल जी, निवासी ए. बी. रोड, कोलारस, शिवपुरी फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

श्रीमती ममता गुप्ता (भागीदार)

मैसर्स कृष्णा ऑयल मिल, ए. बी. रोड, कोलारस, शिवपुरी.

(G 82)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लाला लाल बहादुर पिता श्री लखन सिंह परमार, निवासी ग्राम बिलकिसगंज सीहोर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश में निवासरत् हूँ. मेरी ऋण पुस्तिका एवं खसरे में मेरा पूर्व नाम अनिल उर्फ लाला लाल बहादुर पिता लखन सिंह एवं अंकसूची, पैन कार्ड, आधार कार्ड में लाला लाल बहादुर पिता श्री लखन सिंह परमार अंकित है. वर्तमान में मैंने अपना नाम परिवर्तित कर अनिल सिंह परमार पिता श्री लखन सिंह परमार रख लिया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम अनिल सिंह परमार पिता श्री लखन सिंह परमार के नाम से जाना पहचाना, पढ़ा-लिखा जावे, सभी शासकीय व अर्द्धशासकीय समस्त दस्तावेजों व अंकसूचियों में दर्ज किया जावे तथा मेरी ऋण पुस्तिका एवं खसरे में भी मेरा परिवर्तित नाम दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(लाला लाल बहादुर)

नया नाम
(अनिल सिंह परमार)
निवासी ग्राम बिलकिसगंज सीहोर,
जिला सीहोर, मध्यप्रदेश.

(G 83)

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जून 2021—ज्येष्ठ 21, शक 1943

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

(कुछ नहीं)